पत्रांक.निवेश मित्र.2016–2017 / आई0टी0 / 252 / वाणिज्य कर

प्रेषक ,

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में ,

प्रदीप कुमार सिंह
सयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन ।

दिनांकः लखनउ : जून 28, 2016

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों एवं व्यापार के लिए प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है । वर्तमान में वाणिज्य कर, केन्दीय बिक्रीकर तथा प्रवेश कर का संग्रहण वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से , मनोरंजन कर का संग्रहण मनोरंजन कर के माध्यम से तथा विलासिता कर का संग्रहण प्रर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाता है । विभिन्न विभागों में पंजीकरण की आवश्यकता तथा विभिन्न विभागों में पंजीकरण की आवश्यकता तथा विभिन्न विभागों की विधिक आवष्यकताओं की पूर्ति में व्यापार एवं उद्योग समुदाय को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः उत्तर प्रदेश ~~Ease~~ Ease of doing Business के अन्तर्गत वाणिज्य कर, मनोरंजन कर तथा विलासिता कर में पंजीकृत व्यापारियों को एकीकृत टैक्स आई0डी0 जारी करने का निर्णय लिया गया है । इस एकीकृत टैक्स आई0डी0 के माध्यम से व्यापारी तीनों विभागों के द्वारा प्रदत्त आन लाइन सेवाओं का निष्पादन किया जा सकता है ।

एकीकृत टैक्स आई0डी015 अंको का यूनीक नम्बर होगा जिसका प्रारूप निम्नवत होगा ।

02अंक (09)	10 अंक	2 अंक	1अंक
प्रदेश कोड	पैन (फर्म का)	जिले का कोड	चेक डिजिट

वाणिज्य कर, मनोरंजन कर तथा विलासिता कर विभाग में नये व्यापारियों के आन लाइन पंजीयन के समय व्यापारी को आवश्यकतानुसार आनलाइन पंजीयन फार्म में उपयुर्क्त तीनों विभागों के सम्मुख स्थित चेकबाक्स पर टिक (Tick) करना अनिवार्य होगा । वाणिज्य कर, मनोरंजन कर तथा विलासिता कर विभाग के पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पंजीयन की अनुमति के समय 15 अंको का यूनीक आई0डी0 स्वतः ही सिस्टम से जनरेट हो जायेगी ।

यदि कोई व्यापारी पूर्व से ही तीनों विभागों में अथवा किन्ही दो विभागों में पंजीकृत है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यूनीक आई0डी0 जनरेशन के आन लाइन पेंज पर जाकर सम्बन्धित विभागों के सम्मुख स्थित चेक बाक्स पर टिक कर तथा सम्बन्धित पंजीयन नम्बर को अंकित कर यूनिक आई0डी0 जनरेट किया जायेगा ।

भवदीय,

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।